संख्या-326/2023/979रासनि/23-1-23/001-03(ए)/आरएसएन-वीएनएस/23

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 02 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 14 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3775/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2023-24, दिनांक 20.04.2023 एवं पत्र संख्या-3814/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2023-24, दिनांक 24.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 14 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 13,25,84,000/- (रूपये तेरह करोड़ पच्चीस लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त् धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 वाराणसी	पुलिस लाइन चौराहे से दशाश्वमेघ पार्किंग स्थल तक मार्ग पर सतह सुधार, डिवाइडर पेन्टिंग, रेलिंग, सड़क सुधार संबंधी कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023-दिनांक-31-01-2023	462.2	115.55	6.71	339.94	184.88
2	प्रा.ख. चंदौली	सकलडीहा अमड़ा मार्ग से पिपरी देवकली संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	47.2	43.16	1.68	2.36	1.89
3	प्रा.ख. चंदौली	बलुआ महुवर हरधनजुड़ा टाण्डा मार्ग के किमी 1 से 6 में विशेष मरम्मत का कार्य।	465/2022/1091 रासनि/23-1-22/002-52 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-07-12-2022	81.84	20.46	0.10	61.28	45.74
4	नि.ख.-1 वाराणसी	हरहुआ रेलवे क्रासिंग गणेशपुर से विवेक ओलम्पियन गेट, लालजी कुआं होते हुए शिवपुर बाईपास तक मार्ग (पंचकोशी मार्ग) पर इन्टरलाकिंग, ड्रेन रिपेयर का कार्य, रोड साइनेज का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	217.19	0.02	10.97	206.2	86.87
5	नि.ख.-1	नरियां से चितईपुर मार्ग	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-	89.14	22.29	5.35	61.50	45.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त् धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वाराणसी	(पंचकोशी मार्ग) पर इन्टरलाकिंग टाइल्स, ड्रेन, रिपेयर का कार्य, रोड साइनेज, पुलिया की रंगाई पुताई का कार्य।	08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023					
6	नि.ख.-1 वाराणसी	रोहनियां गंगापुर मार्ग पर इण्टरलाकिंग, ड्रेन एवं रोड साइनेज का कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक 31.01.2023	259.64	0.01	4.80	254.83	103.86
7	नि.ख.-1 वाराणसी	रोहनियां गोविन्दपुर मडांव मार्ग पर सतह सुधार, इण्टरलाकिंग एवं रोड साइनेज का कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनंक 31.01.2023-	179.45	0.01	6.82	172.62	130.40
8	नि.ख.-1 वाराणसी	बी0एच0यू0 लहरतारा से शिवदासपुर मार्ग पर इण्टरलाकिंग, के0सी0 ड्रेन एवं रोड साइनेज का कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	89.62	22.41	2.53	64.68	26.80
9	नि.ख.-1 वाराणसी	लोहता कन्हई सराय रोहनिया मार्ग पर सतह सुधार, इन्टरलाकिंग, रोड साइनेज का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	145.29	0.02	3.32	141.95	107.20
10	नि.ख.-1 वाराणसी	छित्तुपुर टिकरी आई0टी0आई0 मार्ग पर सुधार इण्टरलाकिंग, के0सी0 ड्रेन एवं रोड साइनेज का कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	335.65	83.91	7.83	243.91	134.26
11	नि.ख.-1 वाराणसी	रोहनियां मिशिरपुर मोहनसराय बाईपास मार्ग पर इण्टरलाकिंग, ड्रेन एवं रोड साइनेज का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	215.34	0.02	8.07	207.25	86.14
12	नि.ख.-1 वाराणसी	शिवपुर कपिलधार मार्ग (पंचकोशी मार्ग) पर इण्टरलाकिंग, के0सी0 ड्रेन रिपेयर का कार्य, रोड साइनेज, डिवाइडर पेन्टिंग, पुलिया की रंगाई पुताई का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023- दिनांक-31-01-2023	497.41	0.01	33.79	463.61	198.96
13	नि.ख.-1 वाराणसी	कैण्ट से लहुराबीर मैदागिन-मच्छोदी पार्क राजघाट मार्ग (शहरी मार्ग) पर इण्टरलाकिंग, के0सी0 ड्रेन, डिवाइडर पेन्टिंग एवं सडक सुरक्षा संबंधी कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023- दिनांक-31-01-2023	341.11	85.27	6.86	248.98	136.44
14	नि.ख.-1 वाराणसी	अस्सी से नगवा मार्ग (पंचकोशी मार्ग) पर इण्टरलाकिंग, के0सी0 ड्रेन, एवं सड़क सुरक्षा का कार्य।	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023- दिनांक-31-01-2023	67.88	16.97	0.61	50.3	37.20
							कुल योग-	1325.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्का ल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्त्र पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, उन क्षेत्रों को छोड़कर नवीनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने होंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद सम्पूर्ण क्षेत्रों में नवीनीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 13,25,84,000/- (रूपये तेरह करोड़ पच्चीस लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-326/2023/979रासनि(1)/23-1-23/001-03(ए)/आरएसएन-वीएनएस/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।